11.11.2022	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक वाद वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रस्तुत कर घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा मय स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.10.2022 को एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। वादग्रस्त आराजी अपीलाण्ट की पुश्तैनी हैं तथा अपीलाण्ट के जीवित रहते रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के कोई हक हकूक या अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध विधि के मंशा के विपरीत रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध बिना कोई जांच किये एकतरफा अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट जैर अपील आदेश की आड में अपीलांट की कब्जाशुदा आराजी से उपयोग व उपभोग में भारी असुविधा हो रही है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में है। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना व क्रियान्विति स्थगित की जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कर अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी अपीलाण्ट की पुश्तैनी भूमि है। अपीलाण्ट अपना नाम जमाबन्दी में इन्द्राज होने का फायदा उठाकर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के नोशनल शेयर आराजी को भी अपरिचित भू–माफिया को बेचान करने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने अपने हक में निहित हिस्सा घोषित किया जाकर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु पेश किया है। विचाराधीन मूल वाद का निस्तारण होने से पूर्व अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर अपने हक हिस्से से अधिक आराजी का बेचान करने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। हस्तगत प्रकरण मे वादग्रस्त आराजी पक्षकारो की पुश्तैनी आराजी है जिसमें रेस्पोडेण्ट के हक–हकूको का निर्णय मूल वाद के निस्तारण पर होना है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस अपने कथनो में यह जाहिर किया कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर अपने हिस्से से अधिक आराजी पर बेचान करने पर आमादा है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश से रोका गया है। किन्तु अगर उक्त अपील में जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जाता है तो अपीलांट पुनः वादग्रस्त आराजी पर अपने हिस्से से अधिक भाग का बेचान कर देगा। जिससे पक्षकारो के मध्य वाद–विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। साथ ही वाद बाहुल्यता भी बढेगी। जिससे प्रथम दृष्टया इंकार नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश के जरिये वादग्रस्त आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है, प्रकरण की स्थिति को देखते हुए प्रथम दृष्टया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जाना उचित नहीं समझते है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.10.2022 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश पारित कर वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति को यथावत बनाये रखने के आदेश जारी किए। आदेश 39 नियम 3(क) सी. पी. सी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

में प्रावधित किया है कि " 3-A Court to disposed application for injunction within thirty days-- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to the finally dispose of the application within thirty days from the date on which injuntion was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reason its reasons for such inability" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहॉ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय को 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलिखित करना चाहिए। उक्त नियम हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है। तद्नुसार सहायक कलेक्टर सायला को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा संख्या 36/2022 बउनवान हरीश कुमार बनाम खीमाराम में पारित आदेश दिनांक 11.10.2022 के सम्बन्ध में उभयपक्षों को सुनकर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए 30 दिवस के भीतर निर्णय पारित करे। उक्त आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली